उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–54 / 2022–23

सरकार

–बनाम–

प्रमोद कुमार साहु

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2175 / अप0शा0 दिनांक –08.08.2022 के द्वारा वादी पु0अ0नि0 अमित कुमार चौधरी पे0–ए0के चौधरी सा0–रोड नं0–26 आश्रम कॉलोनी थाना–आर0आई0टी0 आदित्यपुर–2 जिला–सरायकेला खरसावॉं वर्त्तमान थाना प्रभारी चैनपुर थाना जिला–गुमला के पद पर पदस्थापित के स्वलिखित ब्यान के आधार पर चैनपुर थाना काण्ड सं0–18 / 2021 दिनांक–18.08.2021 धारा–279 / 272 / 273 भा0द0वि0 एवं 47 (ए) उत्पाद अधिनियम के तहत् अवैध शराब का परिवहन करने के आरोप में जप्त वाहन सं0 –JH01DE-9311 के मालिक प्रमोद कुमार साहु पे0–राजेन्द्र साहु सा0–दण्डी मोहल्ला चेटर थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से उक्त काण्ड में जप्त वाहन को मुक्त कर दिया गया है, तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उत्पाद अधिनियम के धारा 66 में स्पष्ट प्रावधान है कि जबतक वाहन मालिक का दोष साबित नही हो जाता तब तक Confiscation प्रकिया लागु नही होता है:–

Provided that no animal, cart, vessel, raft or other conveyance as aforesaid shall be lable to confiscations unless the owner thereof is proved to have been implicated in the commission of the offence.

उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्त्तमान में उत्तरवादी के विरुद्ध Trial सक्षम न्यायालय में लंबित है। Trial पूर्ण होने के उपरान्त ही सक्षम न्यायालय के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत् जप्त वाहन के राजसात के संदर्भ में न्यायादेश पारित किया जा सकता है। तद्आलोक में इस वाद की कार्यवाही बिना किसी फलाफल के समाप्त की जाती है।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

30.09.22

उपायुक्त,
गुमला

30.09.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.03.06 12:26:01 +05:30
Location: 192.168.5.117

Scanned with OKEN Scanner